झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड अनिवार्य विवाह निबंधन विधेयक, 2017

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड अनिवार्य विवाह निबंधन विधेयक, 2017

[सभा द्वारा यथापारित]

प्रस्तावना

सम्प्रति राज्य में विवाह निबंधन हेतु हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872, आनन्द विवाह अधिनियम, 1909, काजी अधिनियम, 1880 द्वारा राज्य के विभिन्न धर्मों से संबंधित नागरिकों हेतु विवाह निबंधन कराने का प्रावधान है। किन्तु इनमें से किसी भी अधिनियम अन्तर्गत विवाह का निबंधन अनिवार्य नहीं हैं। इस संबंध में अनिवार्य विवाह निबंधन की व्यवस्था होने से बाल विवाह, बहु विवाह आदि कूरितियों को समाप्त किया जा सकेगा तथा महिलाओं की समाजिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सकेगा, जो राज्य हित एवं जनहित में होगा।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित होः-

अध्याय I

प्रारंभिक

1) संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभः-

(क) यह अधिनियम झारखण्ड अनिवार्य विवाह निबंधन अधिनियम, 2017 कहा जाएगा।

(ख) यह अधिनियम राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

(ग) इसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण झारखण्ड राज्य होगा।

2) यह अधिनियम लागू होने की तिथि से उन समस्त संपन्न विवाहो पर प्रभावी होगा, जहाँ विवाह के दोनों अथवा एक पक्षकार झारखण्ड राज्य में निवास करने वाले भारतीय नागरिक हों।

3) परिभाषाएँः-

(1) इस अधिनियम में, जबतक प्रसंग अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) विवाह से अभिप्रेत है, निम्नांकित अधिनियम अन्तर्गत जाति एवं धर्म से निरपेक्ष, स्त्री एवं पुरूष के मध्य संपादित विवाह अथवा पुनर्विवाह

(i) विशेष विवाह अधिनियम, 1954,

(ii) हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955,

(iii) भारतीय इसाई विवाह अधिनियम, 1872,

(iv) मुस्लिम पर्सनल लॉ अधिनियम (शरीयत) 1937,

(v) आनन्द विवाह अधिनियम, 1909

(vi) काजी अधिनियम, 1880

(vii) विदेश विवाह अधिनियम, 1969 तथा

(viii) पारसी विवाह एवं तलाक अधिनियम, 1936

(ix) विवाह से संबंधित अन्य पर्सनल लॉ अथवा परंपरा

(ख) "स्थानीय प्राधिकारी" से तात्पर्य है ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम आदि

(ग) "सरकार" से तात्पर्य है झारखण्ड सरकार

(घ) "विदेशी नागरिक" से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक नही है तथा उनमें सम्मिलित होगें भारतीय मूल के व्यक्ति तथा पारसमुद्री भारतीय नागरिक।

(ड़) "पंजी" का अर्थ है, इस अधिनियम अन्तर्गत संधारित विवाह पंजी

4) अन्य अधिनियम का प्रभाव बाधित नहीं:- अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, इस अधिनियम के प्रावधान, अन्य प्रभावी अधिनियमों के मानमर्दन में न होकर उनके अतिरिक्त होगे, सिवाय उस परिस्थति के जबकि अन्य अधिनियमों के प्रावधान इस अधिनियम के प्रावधानों के असंगत हो।

5) इस अधिनियम अन्तर्गत निम्नांकित अथवा अन्य विषयों पर राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(क) विवाह के अनिवार्य निबंधन हेतु ऑनलाईन आवेदन के प्रेषण के संबंध में।

(ख) इस अधिनियम अन्तर्गत, शुल्क, जुर्माना, दंड, अर्थदंड, अधिरोपित करने तथा शुल्क आदि के भुगतान की रीति के संबंध में।

(ग) उन अवस्थाओं तथा परिस्थितियों के संबंध में जबकि विवाह निबंधन की प्रविष्टयों को संशोधित अथवा निरस्त करना हो।

(घ) इस अधिनियम के अन्तर्गत वांछित अन्य किसी विषय के निर्धारण हेतु इस अधिनियम अन्तर्गत निर्मित समस्त नियम राज्यविधानमंडल की सहमति हेतु यथाशीघ्र सदन के पटल पर रखे जाऐंगे।

अध्याय II

निबंधन पदाधिकारी

5) महानिबंधक विवाहः-

(i) राज्य सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना निर्गत कर इस अधिनियम के प्रभावी अनुपालन तथा इसके अनुश्रवण हेतु किसी पदाधिकारी को महानिबंधक विवाह नियुक्त कर सकेगी।

(ii) महानिबंधक विवाह के पर्यवेक्षण में इस अधिनियम अन्तर्गत कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार समय-समय पर अन्य पदाधिकारियों को, ऐसे पदनाम से, जैसा राज्य सरकार चाहे, नियुक्त कर सकेगी तथा उन्हें महानिबंधक के निदेशानुसार कार्य करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगी।

(iii) राज्य सरकार के निदेशों के अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रावधानों तथा अधिनियम अन्तर्गत निर्गत नियमों निदेशो के अनुपालन हेतु महानिबंधक विवाह ही मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होगें।

(iv) राज्य अन्तर्गत विवाह निबंधन के कार्य को सुगमता से संपादित करने हेतु महानिबंधक विवाह, द्वारा उचित आदेश निर्गत करने तथा अधीक्षण संबंधी कार्य संपादित करने का कार्य किया जाएगा।

6) मुख्य विवाह निबंधकः-

(i) राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राजस्व जिला में उपायुक्त को मुख्य विवाह निबंधक नियुक्त किया जाएगा, जो महानिबंधक विवाह के नियंत्रण तथा निदेशानुसार उन कार्यो का निष्पादन करेंगे जैसा महानिबंधक विवाह उन्हें करने हेतु प्राधिकृत करें।

(ii) मुख्य निबंधक द्वारा महानिबंधक विवाह के निदेशों के अनुसार जिलान्तर्गत संपन्न विवाहों के निबंधन का पर्यवेक्षण किया जाएगा, साथ ही इस अधिनियम के प्रावधानों तथा समय-समय पर महानिबंधक द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन का उत्तरदायित्व भी उसपर होगा।

7) विवाह निबंधकः-

(i) शहरी क्षेत्र में अनिवार्य विवाह निबंधन का कार्य स्थानीय शहरी निकाय यथा नगर निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, नगर पर्षद आदि के उन्हीं पदाधिकारियों द्वारा संपादित किया जाएगा जो अपने क्षेत्राधिकार अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु का निबंधन करते हैं, अथवा ऐसे अन्य पदाधिकारियों द्वारा जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचित करें।

जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह कार्य उन पदाधिकारियों द्वारा संपादित किया जाएगा जो क्षेत्राधिकार अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु का निबंधन करते हैं यथा पंचायत सेवक, अथवा ऐसे अन्य पदाधिकारी जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचित करें।

(ii) प्रत्येक विवाह निबंधक का कार्यालय उसी स्थानीय क्षेत्र में होगा जहाँ के लिए वह नियुक्त हो।

(iii) महानिबंधक विवाह के निदेश के अनुसार प्रत्येक विवाह निबंधक निर्धारित दिन तथा निर्धारित समय पर अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे तथा अपने कार्यालय के बाहरी दरवाजे के निकट किसी विशिष्ट स्थान पर अपना नाम, पदनाम, कार्यालय अवधि, क्षेत्राधिकार, अंग्रेजी, हिन्दी तथा स्थानीय भाषा में पट्टिका पर अंकित करेंगे।

8) वर्तमान पदाधिकारियों की नियुक्ति अथवा पुर्ननामित करनाः-

(i) राज्य सरकार यथोचित अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी को निबंधन महानिबंधक, मुख्य निबंधक तथा विवाह निबंधक के रूप में नियुक्त अथवा पुनर्नामित कर सकेगी।

(ii) राज्य सरकार इस अधिनियम, अन्य किसी अधिनियम अथवा प्रथाओं के अन्तर्गत स्थान विशेष अथवा स्थान विशेष पर निवास करनेवाले विशेष समुदाय के मध्य संपन्न विवाह के निबंधन हेतु किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी को नियुक्त या पुनर्नामित कर सकेगी।

(iii) ऐसे नियुक्त या पुनर्नामित व्यक्ति तथा प्राधिकारी इस अधिनिमय के प्रावधानों के अन्तर्गत विवाह निबंधन के कार्यों को निष्पादित करेंगे।

9) विवाह निबंधक का क्षेत्राधिकारः-

(i) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अनिवार्य विवाह निबंधन हेतु प्रादेशिक सीमाएँ वही होगीं जो जन्म एवं मृत्यु हेतु निर्धारित हैं।

(ii) इस क्षेत्राधिकार अन्तर्गत प्रत्येक विवाह निबंधक को ऐसे संपन्न विवाह के निबंधन का अधिकार होगा, जो उसके क्षेत्राधिकार में संपन्न हुआ हो अथवा क्षेत्राधिकार के बाहर संपन्न विवाह जिसमें कम-से-कम एक पक्षकार उसके क्षेत्राधिकार का निवासी हो।

अध्याय III

विवाह निबंधन

10) विवाह का अनिवार्य निबंधनः-

(i) इस अधिनियम के प्रभावी होने के उपरांत झारखण्ड राज्य अन्तर्गत निवास करनेवाले समस्त नागरिको हेतु उक्त स्थिति में संपन्न विवाह का निबंधन कराना अनिवार्य होगा जबकि विवाह, विवाह निबंधक का क्षेत्राधिकार अन्तर्गत संपन्न हुआ हो अथवा विवाह, विवाह निबंधक के क्षेत्राधिकार के बाहर संपन्न हुआ हो किन्तु दोनों अथवा एक पक्षकार उस विवाह निबंधक के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत निवासी हो। परन्तु जब विवाह का एक पक्षकार अनिवासी भारतीय अथवा विदेशा नागरिक हो तो उस परिस्थिति में ऐसे पक्षकार हेतु पासपोर्ट संख्या/पासपोर्ट निगर्त करनेवाले देश का नाम/स्थायी निवास/ स्थायी निवास वाले देश अन्तर्गत उसका पूर्ण पता/ वर्तमान सामाजिक सुरक्षा संख्या, अन्य किसी प्रकार का पहचान प्रमाण, जो उस व्यक्ति को उसके देश से निर्गत हो, का वर्णन करना अनिवार्य होगा तथा यह सूचना विवाह प्रमाण पत्र तथा विवाह पंजी में भी अंकित होगी।

(ii) परन्तु अन्य किसी विवाह अधिनियम अन्तर्गत निबंधित विवाह का निबंधन इस अधिनियम अन्तर्गत कराना आवश्यक नही होगा।

(iii) परन्तु अन्य किसी विवाह अधिनियम के प्रावधान इस अधिनियम अन्तर्गत विवाह के पक्षकारों को विवाह के निबंधन से बाधित नही करेंगे।

(iv) विवाह के पक्षकारों का यह दायित्व होगा कि वह विवाह के अनिवार्य निबंधन हेतु आवश्यक कदम उठायें।

11) विवाह निबंधन की शर्तेः-

विवाह के निबंधन हेतु निम्नांकित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगाः-

(i) वर की आयु न्यूनतम 21 वर्ष तथा वधु की आयु न्यूनतम 18 वर्ष हो।

(ii) दोनो पक्षकारों में किसी का पति अथवा पत्नी जिवित न हो, जबतक कि पक्षकारों के संबंधित पर्सनल लॉ में ऐसा प्रावधानित न हो।

(iii) दोनों पक्षकारों में से कोई पागल अथवा मानसिक रूप से असंतुलित न हो।

(iv) दोनों पक्षकारों के मध्य प्रतिबंधित संबंध न हो।

(v) दोनों पक्षकारों में से एक भारतीय नागरिक तथा संबंधित विवाह निबंधक के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत निवासी हो अथवा विवाह उस विशेष क्षेत्र में संपादित हुआ हो।

12) विवाह निबंधन की प्रक्रिया:-

(i) विवाह के अनिवार्य निबंधन हेतु समस्त आवेदन ऑनलाईन पद्धति से अथवा परिशिष्ट के प्रपत्र-I अन्तर्गत विहित प्रपत्र में विशिष्ट क्षेत्राधिकार के विवाह निबंधक को प्रेषित किये जायेंगे। पक्षकारों तथा गवाहों की व्यक्तिगत उपस्थिति हेतु तिथि तथा समय का निर्धारण ऑनलाईन भी किया जा सकेगा।

(ii) इस प्रयोजनार्थ, विवाह के पक्षकारों द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरा जाएगा जिसमें पक्षकारों का नाम, फोटो, आयु, निवास स्थान, व्यवसाय, विवाह की तिथि, विवाह का स्थान, आधार संख्या, मोबाईल संख्या तथा ऐसे अन्य आवश्यक वर्णन, जिसे विभाग मांगे, वर्णित होंगे।

(iii) ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन के साथ स्थानीय मुखिया, सरपंच, किसी राजपत्रित पदाधिकारी अथवा ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार प्राधिकृत करे, के स्तर से प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा जिसमें यह वर्णित होगा कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री एवं श्रीमती..... का विवाह अमुक तिथि को संपादित किया गया है।

जबकि शहरी क्षेत्र में विवाह के पक्षकार वार्ड कमिशनर, किसी राजपत्रित पदाधिकारी अथवा अन्य ऐसे व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार प्राधिकृत करें, के स्तर से प्राप्त प्रमाण-पत्र संलग्न करेंगे जिसमें वर्णित होगा कि "मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री एवं श्रीमती..... का विवाह अमुक तिथि को संपादित हुआ है।

(iv) ऑनलाईन आवेदन के साथ पक्षकारों द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रमाण-पत्र, वर एवं वधु के विवाह का फोटो, आमंत्रण पत्र अथवा पंडित/काजी आदि द्वारा निर्गत विवाह प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड तथा अन्य ऐसे दस्तावेज जिसे विभाग चाहे, अपलोड किये जायेंगे।

(v) आवेदन के साथ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क/विलंब शुल्क आदि भी ऑनलाईन पद्धति से जमा किये जायेंगे।

(vi) आवेदन के सफलतापूर्वक प्रेषण के साथ आई०डी० संख्या जनित होगी तथा आवेदक अपने आवेदन की स्थिति उक्त आई०डी० द्वारा पता कर सकेंगे।

(vii) विवाह निबंधक अपने यूजर आई०डी० तथा पासवर्ड द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन की जाँच कर सकेंगे तथा यदि आवेदन में कोई त्रुटि प्रतीत होती है तो आवेदन प्राप्ति के एक माह के अंदर वह त्रुटि सुधार हेतु पक्षकार को ऑनलाईन रूप से सूचित करेंगे। यदि विवाह निबंधन के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो भी विवाह निबंधक आवेदक को उसकी सूचना ऑनलाईन देंगे।

(viii) एक माह के उपरांत यदि पक्षकार किसी त्रुटिसुधार अथवा विवाह निबंधन से संबंधित किसी आपत्ति की सूचना नहीं पाते हैं, तो दोनो पक्षकार विवाह निबंधन हेतु संबंधित विवाह निबंधक के कार्यालय में उपस्थित होंगे।

(ix) विवाह निबंधक के कार्यालय में आवेदक की आयु, निवास स्थान, पहचान, मुखिया/वार्ड कमिशनर से प्राप्त प्रमाण-पत्र की जाँच की जाएगी। सभी दस्तावेज उचित होने की स्थिति में दोनों पक्षकारों तथा तीन गवाहो का फोटो लिया जाएगा तथा विवाह निबंधक द्वारा विवाह प्रमाण-पत्र ऑनलाईन निर्गत किया जाएगा जिसे पक्षकार डाउनलोड कर सकेंगे।

(x) विवाह निबंधक द्वारा दूरभाष, एस०एम०एस०, ई-मेल अथवा अन्य वैकल्पिक माध्यमों द्वारा विवाह के पक्षकारों तथा गवाहों को पूर्व निर्धारित समय एवं तिथि पर उपस्थित होने हेतु सूचित करने का प्रयास किया जाएगाए जो कम-से-कम एक दिन पूर्व निर्गत की जाएगी।

(xi) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन के वैकल्पिक रूप में निर्धारित प्रपत्र में हार्ड कॉपी में समस्त दस्तावेजों, प्रमाण-पत्रों (जो धारा 12 iv में वर्णित है) के साथ निबंधक के समक्ष आवेदन दिया जा सकेगा। विवाह निबंधक से संबंधित समस्त शुल्क का भुगतान ऑनलाईन रूप से किया जा सकेगा।

(xii) आवेदकों द्वारा आवेदन प्रज्ञा केन्द्रों अथवा सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य एजेन्सियों के माध्यम से भी किया जा सकेगा।

(xiii) विहित प्रपत्र में प्राप्त आवेदन तथा समस्त वांछित दस्तावेजों की जांच निबंधक द्वारा की जाएगी। समस्त दस्तावेजों की सत्यता के संबंध में आश्वस्त होने के उपरांत निबंधक द्वारा विवाह का निबंधन किया जाएगा तथा प्रपत्र–iii में निर्धारित पंजी में उसकी प्रविष्टि की जाएगी।

(xiv) अप्रवासी भारतीय अथवा विदेश में प्रवासी पक्षकार के साथ विवाह संपन्न होने की स्थिति में निबंधक द्वारा संबंधित दूतावास से उस व्यक्ति के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाएगी।

(xv) ऑफलाइन आवेदन देने की स्थिति में आवेदकों द्वारा विवाह संपन्न होने के एक वर्ष के भीतर दो प्रति में विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित किया जाएगा। विवाह निबंधक द्वारा प्राप्त आवेदन सूचनापट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा जिससे यदि व्यक्ति को आपत्ति करना हो तो वह इस संबंध में आपत्ति कर सके।

(xvi) विवाह निबंधन हेतु व्यक्तिगत उपस्थिति के समय पक्षकारों द्वारा निम्नांकित प्रमाण प्रस्तुत किये जाएगें:-

(क) विवाह के कम-से-कम दो फोटो एवं विवाह से संबंधित आमंत्रण-पत्र अथवा पंडित/काजी आदि द्वारा निर्गत विवाह प्रमाण-पत्र

(ख) पति एवं पत्नी का एक साथ तीन फोटो जिनमें दो विवाह प्रमाण-पत्र में तथा एक कार्यालय अभिलेख में साटे जाएगें।

(ग) धारा 12 (iii) एवं (iv) में वर्णित दस्तावेज/प्रमाण-पत्र।

(13) दस्तावेजों की जांचोपरांत संतुष्ट होने के उपरांत तथा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने के स्थिति में विवाह का निबंधन किया जाएगा तथा प्रपत्र-ii में उसकी प्रविष्ट की जाएगी।

(क) विवाह निबंधक द्वारा इस संबंध में पक्षकारों को अन्य आवश्यक दस्तावेज को प्रस्तुत करने हेतु कहा जा सकेगा जिससे आवेदन में वर्णित तथ्यों/पक्षकारों या गवाहों की पहचान सत्यापित हो सके।

(ख) इस संबंध में विवाह निबंधक द्वारा पक्षकारों के आवासीय थाना क्षेत्र के थाना से भी सूचना माँगी जा सकेगी।

(14) किन्तु जब समर्पित दस्तावेजों की जांच अथवा अन्य माध्यम से निबंधक को यह विश्वास हो कि-

(क) पक्षकारों का विवाह पक्षकारों के स्वधर्मशास्त्र के अनुसार संपादित नहीं हुआ है या

(ख) पक्षकारों की पहचान, गवाहों की पहचान अथवा विवाह का संपादन शंकारहित रूप से संपादित नहीं हुआ है या

(ग) प्रस्तुत दस्तावेज पक्षकारों की वैवाहिक स्थिति को प्रमाणित न करता हो तो

(15) पक्षकारों की सुनवाई के उपरांत विवाह निबंधन अस्वीकृत किया जाएगा तथा उससे संबंधित कारण स्पष्ट रूप से वर्णित किये जाऐगें। अस्वीकृति आदेश की प्रति मुख्य विवाह निबंधक को भी प्रेषित की जाएगी।

(16) निबंधक द्वारा केवल ऐसे विवाह का ही निबंधन किया जाएगा जहाँ आवेदक सभी शर्तों को पूरा करते हों तथा जहाँ आवेदन एक वर्ष की समय-सीमा के अंदर प्राप्त हो,

(17) विवाह निबंधक द्वारा विवाह प्रमाण-पत्र दो प्रति में पक्षकारों को अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा।

(18) प्रत्येक वर्ष की 15 जनवरी तक विवाह निबंधक विगत वर्ष में निबंधित विवाहों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन जिला निबंधक को उपलब्ध करायेंगे।

(19) अभिलेख संधारण तथा सच्ची प्रतिलिपिः-

(i) ऑनलाइन प्रक्रिया अन्तर्गत विवाह के आवेदन, विवाह निबंधक द्वारा की गयी पृच्छाओं, अन्य व्यक्तियों द्वारा किये गये आपत्तियाँ तथा विवाह प्रमाण-पत्र, डिजिटली संधारित होगें जबकि ऑफलाईन विवाह से संबंधित अभिलेख तथा समस्त प्रक्रियाएँ हार्ड कॉपी में संधारित होंगी।

(ii) विवाह प्रमाण-पत्र निर्गत होने के साथ दोनों पक्षकारों के नाम, पता, विवाह निबंधन की तिथि आदि से संबंधित विवरण के साथ अनुक्रमणी ऑनलाईन जनित होगी। विवाह के पक्षकारों द्वारा उन अनुक्रमणियों की खोज अवलोकन निर्धारित शुल्क भुगतान कर किया जा सकेगा तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क चुका कर विवाह प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जा सकेगी। अन्य व्यक्तियों द्वारा विवाह निबंधक की अनुमति प्राप्त कर अनुक्रमणी की खोज एवं निरीक्षण तथा विवाह प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकेगी।

(iii) विवाह निबंधक द्वारा यह अनुमति उसी स्थिति में प्रदान की जाएगी जब उसे प्रतीत हो कि यह जाँच उचित कारणों से की जा रही है।

20) विवाह निबंधन के संबंध में आपत्तिः-

(i) यदि कोई व्यक्ति विवाह निबंधन के संबंध में आपत्ति करना चाहता है तो उसके द्वारा आपत्ति की सत्यता के संबंध में शपथ-पत्र के साथ लिखित आवेदन ऑनलाईन विवाह निबंधक को प्रेषित करना होगा।

(ii) यह आवेदन विवाह निबंधन आवेदन प्रेषण की तिथि के पंद्रह दिनों के अंदर, निर्धारित शुल्क यदि हो तो, के साथ समर्पित किया जाएगा।

(iii) विवाह निबंधक द्वारा आपत्ति की जाँच कर उचित समय सीमा के अंदर आदेश पारित किया जाएगा।

21) निबंधन विवाह की वैधता का प्रमाण न हो:-

इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाह का निबंधन विवाह की वैधता का प्रमाण न होकर विवाह के निबंधन का प्रमाण होगा।

22) अनिवार्य विवाह निबंधन हेतु समय-सीमा:- अनिवार्य विवाह निबंधन हेतु विवाह संपन्न होने के एक वर्ष के अंदर संबंधित विवाह निबंधक के कार्यालय में विवाह का निबंधन, अधिनियम की धारा-10 के अन्तर्गत वर्णित पक्षकारों हेतु अनिवार्य होगा किन्तु ऐसे पक्षकार जिन्होंने विवाह निबंधन के अन्य अनिधियम यथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954, हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955, आनन्द विवाह अधिनियम, 1909, काजी अधिनियम, 1880, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 अथवा अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत अपने विवाह का निबंधन करा लिया है, अथवा इस अधिनियम के प्रवृत होने के पूर्व विवाह संपन्न करा लिया हो, उनके लिए इस अधिनियम अन्तर्गत विवाह निबंधन वैकल्पिक होगा, अनिवार्य नहीं।

23) दण्ड:-

(i) बिना उचित कारण के विवाह का अनिवार्य निबंधन न कराने की स्थिति में पक्षकारों को निबंधन के समय विलंब के प्रतिदिन पाँच रूपये की दर से अधिकतम 100 रू0 (एक सौ रूपये) अर्थदण्ड देना होगा। विवाह निबंधक का यह अधिकार होगा कि वह उचित कारण बताने पर दण्ड को माफ कर सके।

(ii) प्रत्येक व्यक्ति जो विवाह के निबंधन से संबंधित अथवा अन्य विषय पर मिथ्या वर्णन करता है उस पर अधिकतम 5000 रू0 (पाँच हजार रूपये) तक का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा।

(iii) विवाह निबंधन के संबंध में अवैध आपत्ति करने पर भी 5000 रू0 (पाँच हजार रूपये) का अर्थदण्ड अधिरोपित होगा।

(iv) ऐसे समस्त विवाह निबंधक जो बिना किसी उचित कारण के विवाह निबंधन नहीं करते हैं, उनपर उनकी सेवा नियमों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

24) विवाह निबंधन हेतु शुल्क:-

(i) विवाह निबंधन के सभी ऑनलाईन/ऑफलाइन आवेदनों के साथ 50 रू0 का शुल्क भी ऑनलाईन जमा किया जाएगा

(ii) गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों हेतु किसी प्रकार का शुल्क अथवा विलंब शुल्क देय नहीं होगा।

(iii) विवाह प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु 50 रू0 ऑनलाईन शुल्क देय होगा।

(iv) अनुक्रमणियों की खोज हेतु प्रति वर्ष 10 रू0 की दर से शुल्क देय होगा।

25) विवाह निबंधन प्रमाण-पत्र विवाह निबंधन का निर्णायक प्रमाण होगा।

(i) विवाह निबंधन प्रमाण-पत्र, प्रमाण-पत्र में अंकित पक्षकारों के विवाह निबंधन का निर्णायक प्रमाण होगा।

(ii) इस अधिनियम अन्तर्गत जारी विवाह निबंधन प्रमाण-पत्र समान्य रूप से न्यायालयों, लोक कार्यालयों में प्रमाण-पत्रों में अंकित पक्षकारों के विवाह निबंधन का प्रमाण माना जाएगा, जबतक कि उसके विपरीत प्रमाणित न हो।

26) विवाह निबंधन से इंकार के आदेश विरूद्ध अपीलः-

(i) विवाह निबंधक के विवाह निबंधन के आदेश के विरूद्ध एक माह के अंदर, मुख्य निबंधक के समक्ष अपील की जा सकेगी।

(ii) मुख्य निबंधक के आदेश के विरूद्ध, एक माह के अन्दर महानिबंधक के कार्यालय में अपील की जा सकेगी।

27) विवाह का निबंधन न होना- इस अधिनियम के अन्तर्गत जिन विवाहों के निबंधन अनिवार्य है, उनका निबंधन न होने के कारण विवाह अवैध नहीं माना जाएगा।

28) विवाह का वैकल्पिक निबंधनः- इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि के पूर्व संपादित विवाह के पक्षकार, जिन्होंने वर्तमान में लागू अन्य किसी अधिनियम अन्तर्गत अपना विवाह निबंधित नहीं कराया है, वह भी इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने विवाह का निबंधन करा सकेंगे।

29) इस अधिनियम के प्रावधान, भारतीय इसाई विवाह अधिनियम, 1872, आनन्द विवाह अधिनियम, 1909, हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, काजी अधिनियम, 1880, विदेश विवाह अधिनियम, 1969, पारसी विवाह तथा तलाक अधिनियम, 1936 तथा विवाह से संबंधित अन्य प्रथाओं, व्यक्तिगत कानून के मानमर्दन में न हो कर उनके अतिरिक्त होगा।

30) क्षतिपूर्तिः- इस अधिनियम अथवा नियमावली अन्तर्गत सदभावपूर्वक किये गये किसी-किसी कृत्य हेतु किसी प्रकार का वाद, अभियोजन अथवा अन्य कानूनी कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी।

31) कठिनाईयाँ हटाने की शक्तिः-

(क) इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के संगत आदेश जारी किये जा सकेंगे।

(ख) इस धारा के अन्तर्गत पारित समस्त नियम राज्य विधानमंडल के सत्र के समय विधानमंडल के पटल पर प्रस्तुत किये जाऐगें।

32) नियम बनाने की शक्तिः-

इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार सरकारी गजट अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

परिशिष्ट

प्रपत्र-I

आवेदन-सह-सत्यापन प्रपत्र

विवाह निबंधन हेतु आवेदन-सह-सत्यापन प्रपत्र झारखण्ड सरकार हमलोग निम्नांकित विवरण अनुसार झारखण्ड सरकार के समक्ष विवाह निबंधन हेतु आवेदन समर्पित करते हैं।		पति पत्नी का संयुक्त फोटो
	पति	पत्नी
आवेदक का नाम आधार संख्या		
पिता का नाम आधार संख्या वैकल्पिक		
माता का नाम आधार संख्या वैकल्पिक		
राष्ट्रीयता (भारतीय/विदेशी नागरिक/ अप्रवासी भारतीय) विदेशी नागरिक/अप्रवासी भारतीय होने की स्थिति में पासपोर्ट संख्या		
धर्म		
पूरा पता		
मोबाईल संख्या/ई-मेल (वैकल्पिक)		
जन्म तिथि		
विवाह के समय आयु		
विवाह के समय नागरिक स्थिति (वैवाहिक स्थिति)		
विवाह की तिथि		
विवाह का स्थान		
गवाह का नाम		
गवाह का पता		
हमारे द्वारा घोषणा की जाती है कि हम दोनों मे से एक/हमदोनों भारतीय नागरिक है तथा उपरोक्त वर्णित तथ्य सत्य है तथा इनके असत्य होने पर हम पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। गवाह का हस्ताक्षर (i) तिथि (ii) आवेदक का हस्ताक्षर (i) (iii) (ii)		
कार्यालय उपयोग हेतु अभ्युक्तिः- विवाह निबंधक का नाम/पदनाम निबंधन का स्थानः- तिथि हस्ताक्षर		

प्रपत्र-II

विवाह प्रमाण पत्र

अनिवार्य विवाह निबंधन अधिनियम, 2017 अन्तर्गत जारी विवाह निबंधन प्रमाण पत्र

मैं (विवाह निबंधक का नाम) विवाह निबंधक (कार्यालय का नाम) प्रमाणित करता हूँ कि श्री (पति का नाम एवं पता) एवं श्रीमती (पत्नी का नाम एवं पता) आज दिनांक-..... को तीन गवाहों जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किया है के साथ मेरे समक्ष उपस्थित हुए तथा घोषित किया कि दिनांक-..... को (स्थान) पर उनका विवाह सम्पादित हुआ है तथा उस समय से वह पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं। उनकी इच्छा के अनुरूप आज दिनांक-..... को अनिवार्य विवाह अधिनियम, 2017 अन्तर्गत इनका विवाह, निबंधित किया जाता है, जो विवाह की तिथि से प्रभावी होगा।

गवाह का हस्ताक्षर एवं पता

1----------

2----------

3----------

विवाह निबंधक का हस्ताक्षर

पति का हस्ताक्षर.....

पत्नी का हस्ताक्षर.....

प्रपत्र-III

विवाह पंजी

1. पति का नाम -..... पता-..... आधार संख्या-.....
मोबाईल संख्या-..... जन्म तिथि-..... धर्म-.....
नागरिकता-..... विवाह की तिथि-..... विवाह का स्थान-
..... विवाह निबंधन की तिथि.....

2. पत्नी का नाम -..... पता-..... आधार संख्या-.....
मोबाईल संख्या-..... जन्म तिथि-..... धर्म-.....
नागरिकता-..... विवाह की तिथि-..... विवाह का स्थान-
..... विवाह निबंधन की तिथि.....

यह विधयेक झारखण्ड अनिवार्य विवाह निबंधन विधयेक, 2017 दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्‌भूत हुआ और दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 को सभा द्‌वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उरांव)

अध्यक्ष

झा०रा०मु० (एल०ए०) 69–50–22-12-2017